

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 138/2014 अ०फ०

संस्थिति दिनांक 15.05.2014

सोनू उर्फ होण्डा पुत्र अरविन्द पण्डा उम्र 32 वर्ष।
निवासी वार्ड नम्बर 11 बडा बाजार गोहद, जिला
भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रतिअपीलार्थी/अभियोगी

अपीलार्थी द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

न्यायालय श्री एस०के०तिवारी, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक

प्रकरण क्रमांक 1493/2011 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 16-04-2014

से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 138/2014

// निर्णय //

(आज दिनांक 15-03-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- श्री एस०के०तिवारी के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 1493/2014 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद वि० सोनू उर्फ होण्डा में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 16.04.2014 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 02 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि पुलिस थाना गोहद में पदस्थ प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा दिनांक 15.09.11 को दौराने

कस्वा गस्त मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के पास कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना की तस्दीक करने पर एक आदमी पुलिस को देखकर छिपने लगा तब फोर्स की मदद से उसे पकड़ा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू उर्फ होण्डा पुत्र अरविन्द्र पण्डा निवासी बड़ा बाजार का बताया। उसकी तलाशी ली तो दाहिने तरफ कमर में एक देशी कट्टा 315 बोर का एक जिंदा राउण्ड लगा मिला जिसे रखने हेतु लायसेंस चाहा तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। थाना आकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के संबंध में आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 16.04.2014 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन निर्णय विधि विधान के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्त्विक प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई है जिन पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करते हुए मात्र साक्षियों के मुख्य परीक्षण को देखते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जबकि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही कट्टे की पहिचान की जा सकी है। साक्षियों के द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी के कागजों पर हस्ताक्षर थाने में करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 16.04.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

08. प्रधान आरक्षक श्यामकरण शर्मा अ0सा0 2 जिनके द्वारा प्रकरण में जप्ती एवं कायमी की कार्यवाही की गई है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 15.09.2011 को थाना गोहद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ दौरान मुखविर की सूचना पर और उसकी तस्दीक कर उस स्थान पर पहुँचा तो वहाँ पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भाग रहा था उसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसने अपना नाम सोनू उर्फ होण्डा बताया एवं तलाशी पर उसकी कमर के दाहिनी तरफ एक कट्टा 315 बोर का मिला और कट्टे की बेरल खोलकर देखा तो जिंदा कारतूस लगा मिला था। कट्टा व कारतूस का लाइसेंस होने के संबंध में पूछा गया तो उसने लाइसेंस न होना बताया। उक्त कट्टे और कारतूस की जप्ती गवाहों के समक्ष तैयार कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 तैयार किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 बनाया। उसके पश्चात् थाना पर आकर जप्तशुदा माल एच.सी.एम को सुपुर्द कर दिया और आरोपी के संबंध में अपराध की कायमी अंतर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम की गई जो कि प्र.पी. 3 है जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी उमेशसिंह अ0सा0 1 जो कि एस.ए.एफ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था के द्वारा दिनांक 15.09.2011 को उसकी ड्यूटी सदर बाजार गोहद में होना और उस दिन गोहद से दो पुलिस वाले आना और एक व्यक्ति से 315 बोर का कट्टा जिसमें राउण्ड लगा हुआ मिलना तथा उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम सोनू उर्फ होण्डा बताना और आरोपी से 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 बनाना बताया है। इस बिन्दु पर अन्य साक्षी यदुनंदन सिंह अ0सा0 4 के द्वारा भी दिनांक 15.09.2011 को उसकी प्र0आर0 श्यामकरण के साथ गस्त ड्यूटी होना और उसके साथ आरक्षक उमेश का भी होना तथा मुखविर की सूचना मिलने पर कि पोस्ट ऑफिस के पास एक व्यक्ति कट्टा लिए खड़ा है जो कि बारदात कर सकता है। तस्दीक करने हेतु पहुँचना और वहाँ पर घेरकर उस व्यक्ति को पकड़ना और उसके द्वारा अपना नाम सोनू उर्फ होण्डा बताना तथा उसके कमर की दाहिनी तरफ 315 बोर का कट्टा रखा होना तथा कट्टा निकालने पर उसमें राउण्ड लगा होना बताया है। आरोपी के पास कट्टा व कारतूस का लाइसेंस न होने से मौके पर जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 बनाया जाना अभिकथित किया है।

10. अभियोजन साक्षी सुरेश दुवे अ0सा0 3 जो कि आर0 मोहरर के पद पर पुलिस लाइन भिण्ड में पदस्थ था के द्वारा दिनांक 23.09.2011 को पुलिस थाना गोहद के द्वारा अपराध

क्रमांक 193/2011 धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा एवं जिंदा राउण्ड जॉच हेतु प्राप्त हुआ था जो कि जॉच के दौरान कट्टे का एक्शन चैक करने पर उसे चालू हालत में होना और फायर हो सकना पाया था तथा एक राउण्ड जो कि 315 बोर का था उसे भी फायर किया जा सकता था। उक्त कट्टा एवं राउण्ड जॉच उपरांत शीलबंद कर थाना पर बापस किया था। जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0 5 जो कि आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में साक्षी है।

11. बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि वह डिस्क का काम करता था और प्र0आर0 श्यामकरण जो कि गोहद थाने में बने क्वाटर में निवास करते थे अपने यहाँ डिस्क लगवाने की कह रहे थे उनसे डोरी की मांग की गई जिस कारण आरोपी को आयुध अधिनियम के केस में झूठा फसा दिया गया है।

12. प्र0आर0 श्यामकरण अ0सा0 2 जिन्होंने कि आरोपी से अग्नेयशस्त्र की जप्ती एवं कायमी की कार्यवाही की गई है के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में साक्षी दिनांक 15.09.2011 को गस्त के लिए थाने से किस समय रवाना हुए थे और कब बापस आए थे इसकी प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा में होना बताया है और गस्त के लिए उसके साथ उमेश सिंह (एस.ए.एफ.), आरक्षक यदुनंदन भी साथ में जाना बताया है। थाने से किस समय वह रवाना हुए थे इस बारे में वह नहीं बता सके हैं। अभियोजन के द्वारा कोई रोजनामचा सान्हा जो कि गस्त हेतु रवाना होने एवं बापसी बावत् पेश या प्रमाणित भी नहीं किया गया है। घटनास्थल बाजार के मध्य में स्थित होना और घटनास्थल पर 8 बजे रात में पहुँचना साक्षी बता रहा है और घटनास्थल के आसपास दुकानें और मकान होना भी उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। आरोपी को तीन लोगों के द्वारा मिलकर पकड़ना बताया है। जप्ती पंचनामा पर उसके साथ आरक्षकों के हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। साक्षी यद्यपि स्वतः बता रहा है कि अन्य कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था। जप्ती की कार्यवाही में पांच मिनट का समय लगा था। आरोपी की गिरफ्तारी जप्ती के पश्चात् की गई थी। इस संबंध में पूछे जाने पर साक्षी बता रहा है कि जप्ती की कार्यवाही में पांच मिनट का समय लगा होगा। साक्षी इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्र.पी. 1 व 2 की कार्यवाही थाने पर जाकर की थी। कट्टा एवं राउण्ड जप्त कर उसे मौके पर शील्ड करना बता रहा है, किन्तु कोई शील नमूना जप्ती पंचनामा पर अंकित नहीं है। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में भी जप्ती प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 2 दोनों पर 20 बजे तैयार किये जाने का उल्लेख है जैसा कि साक्षी ने स्वीकार किया है। जबकि स्वतः में साक्षी कह रहा है कि दोनों में 2-4 मिनट का अंतर रहा होगा।

13. उपरोक्त संबंध में आरोपी से जप्ती की कार्यवाही के अन्य साक्षी उमेशसिंह के द्वारा यह बताया गया है कि वह दीवान जी अर्थात् श्यामकरण के साथ नहीं आया था, बल्कि उसकी ड्यूटी पहले से ही वहाँ लगी थी, इसलिए वह उनके पास पहुँच गया था। आरोपी को किसने पकड़ा था वह नहीं देख पाया था। जबकि प्र0आर0 श्यामकरण के द्वारा बताया जा रहा है कि तीनों लोगों ने मिलकर के आरोपी को पकड़ा था। आरोपी से जप्ती एवं गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों के तैयार करने के संबंध में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि जिस वक्त जप्ती और गिरफ्तारी की गई थी उस समय दीवान जी के पास कागज नहीं थे। प्र.पी. 1 व 2 के पत्रक थाने पर भरे गए थे और वहीं पर हस्ताक्षर कराए गए थे। कट्टे व राउण्ड उसे सामने शील बंद नहीं किये गए थे। इस प्रकार साक्षी उमेश सिंह के कथन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी प्र0आर0 श्यामकरण के साथ नहीं गया था जैसा कि श्यामकरण के द्वारा बताया जा रहा है। उक्त साक्षी मौके पर कोई जप्ती की लिखापट्टी होना अथवा जप्तशुदा वस्तुओं को शीलबंद करने की कार्यवाही से भी इन्कार किया है और इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके द्वारा आरोपी पकड़ा गया था। जबकि जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि तीनों लोगों ने मिलकर आरोपी को पकड़ा था। ऐसी दशा में वर्तमान साक्षी के कथन के आधार पर वास्तव में आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही हुई थी यह तथ्य असंदिग्ध रूप से सम्पुष्ट होना नहीं माना जा सकता है।

14. अन्य अभियोजन साक्षी यदुनन्दन सिंह अ0सा0 4 आरक्षक उमेश और उनके साथ अन्य एक पुलिसकर्मी भी साथ में होना बताया है। जबकि पुलिसकर्मी गस्त के लिए निकलते हैं तो रोजनामचा सान्हा में रवानगी डाली जाती है और रवानगी डाली गई थी अथवा नहीं वह नहीं बता सकता है। घटनास्थल पर पौने आठ – आठ बजे के समय लोगों का आना जाना था। आरोपी को कितनी दूरी से देख लिया था और कहाँ पर छुपा था यह भी नहीं बता सकता है। यद्यपि साक्षी आरोपी को सबके द्वारा मिलकर पकड़ना बता रहा है और आरोपी की तलाशी स्वयं उसके द्वारा लेना वह अभिकथित कर रहा है। जबकि प्र0आर0 श्यामकरण अ0सा0 2 के द्वारा आरोपी की तलाशी लेना और उससे कट्टा बरामद होना बताया जा रहा है।

15. इस प्रकार जप्ती की कार्यवाही से संबंधित दोनों ही साक्षी पुलिस कर्मचारी हैं। इस संबंध में घटना दिनांक को थाना से रवानगी या थाने पर बापसी का कोई भी रोजनामचा सान्हा जो कि इस बिन्दु पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है को प्रमाणित नहीं किया गया है जो कि इस बिन्दु पर साक्षी उमेश सिंह अ0सा0 1 के द्वारा घटनास्थल के आसपास उसके पहले से ही ड्यूटी होना बताई जा रही है। वास्तव में उक्त आरक्षक घटनास्थल के पास ड्यूटी पर था इसकी पुष्टि के संबंध में भी कोई दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती की कार्यवाही पोस्ट ऑफिस के पास जहाँ पर कि बाजार और दुकानें स्थिति हैं तथा

लोगों का आना जाना है जैसा कि साक्षियों के द्वारा स्वीकार किया गया है और घटना के समय जो कि रात के आठ बजे का समय है, रात के आठ बजे के समय तक लोगों का आना जाना साधारणतः लगा रहता है एवं दुकानें भी खुली रहती हैं। ऐसी दशा में जबकि भीड़-भाड़ वाले इलाके में कार्यवाही की गई है और कार्यवाही का समय भी ऐसा नहीं है कि उस समय अन्य स्वतंत्र साक्षी के होने की अपेक्षा न की जा सके। किसी स्वतंत्र साक्षी को जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया गया है, बल्कि पुलिस आरक्षकों को ही साक्षी के रूप में रखा गया है। जप्ती की कथित कार्यवाही एवं लिखापट्टी मौके पर की गई हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है। इस संबंध में साक्षी उमेशसिंह के द्वारा यह बताया गया है कि थाने पर जाकर के लिखापट्टी की गई थी और वहीं पर हस्ताक्षर कराए गए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 2 दोनों में 20 बजे तैयार किये जाने का उल्लेख है। यह संभव नहीं है कि दोनों ही दस्तावेज एक ही समय पर एक साथ तैयार किए जाए, दोनों को तैयार करने में कुछ अंतराल आवश्यक होना चाहिए जो कि इस बात को दर्शाता है कि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर न की जाकर बाद में स्वयं लिखापट्टी कर दी गई है। जप्तशुदा बताए गए कट्टे एवं कारतूस को शीलबंद करने के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है और इस बिन्दु पर साक्षी उमेशसिंह अ0सा0 1 के द्वारा कट्टा एवं कारतूस उसके सामने शीलबंद नहीं किया गया था, कोई शील नमूना भी जप्ती पत्रक पर अंकित नहीं है। इस प्रकार जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र शीलबंद किये जाने के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है, जबकि आयुध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को प्रमाणित करने हेतु शीलबंद किया जाना आवश्यक है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि कथित जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस साक्ष्य के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी या साक्षियों को दिखाकर आर्टिकल भी नहीं डाला गया है जिससे कि वास्तव में उक्त जप्तशुदा वस्तु जप्त की गई है इसकी पुष्टि होती हो। निश्चित रूप से जबकि घटनास्थल पर अग्नेयशस्त्र को शीलबंद करने की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी आवश्यक था कि उसकी पहचान कराई जाए, किन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी के आधिपत्य से कथित रूप से 315 बोर के कट्टे एवं कारतूस की जप्ती का तथ्य किसी स्वतंत्र साक्ष्य से सम्पुष्टि नहीं है। अभियोजन के द्वारा जो दोनों साक्षी पेश किए गए हैं वह दोनों पुलिस आरक्षक हैं और जप्तीकर्ता अधिकारी एवं उक्त साक्षियों के कथनों में एकरूपता नहीं है। घटनास्थल पर रवानगी एवं बापसी के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा भी प्रमाणित नहीं कराया गया है। जप्ती की कार्यवाही मौके पर किया जाना अथवा उसे शीलबंद किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। कथित अग्नेयशस्त्र की कोई पहचान भी नहीं कराई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र आर्म्स मोहरर के कथन के आधार पर कि परीक्षण हेतु भेजे गए कट्टा चालू हालत में था और साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0 5

के द्वारा तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं मानी जा सकती है।

18. इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराकर दण्डित दिये जाने का जो आदेश दिया गया है वह आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के द्वारा साक्षियों की साक्ष्य पर उचित रूप से विचार किए बिना प्रश्नाधीन दोषसिद्ध एवं दण्डादेश आदेश पारित किया गया है, जबकि वास्तव में आरोपी से अवैध अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य आई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

19. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.04.2014 जिसमें कि आरोपी को धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराकर उसे दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाकर आरोपी सोनू उर्फ होण्डा को धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के द्वारा जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि अपील अवधि पश्चात् उसे बापस की जाए।

20. जप्तशुदा आयुध के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र जो कि बिना लाइसेंस के है अपील अवधि पश्चात् उचित निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाने बावत् निर्देशित किया जाता है।

21. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड